रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-ए.एस.-अ.-17082024-256465
CG-AS-E-17082024-256465

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 596] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946
No. 596] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

असम ग्रामीण विकास बैंक

अधिसूचना

गुवाहाटी, 19 जुलाई, 2024

संख्याः एजीवीबी/पीइआर/इएसटीटी–बी/01/2024–25.—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 17 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए, असम ग्रामीण विकास बैंक का निदेशक मंडल, प्रायोजक बैंक होने के नाते पंजाब नेशनल बैंक और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के साथ परामर्श करने के बाद तथा केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी के साथ, एतद्वारा असम ग्रामीण विकास बैंक के (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2010 मे और अधिक संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है , यथाः–

1. (1) इन विनियमों को असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जाएगा।

   (2) ये संशोधन, इनके सरकारी राजपत्र मे प्रकाशित होने की तिथि से लागू हो जाऐंगे ।

2. असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2010 (जिन्हे इसके बाद उक्त विनियम कहा जाएगा) मे, विनियम 61 के उप– विनियमन (4) के लिए, निम्नलिखित उप–विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः–

   "(4) विशेषाधिकार अवकाश 270 दिनों से अधिक तक का नही जमा किया जा सकता है , सिवाय इसके कि जहां छुट्टी के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो :

   बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम 240 दिन के लिए ही किया जा सकेगा. "

3. उक्त विनियमों के विनियम 67 के, –

क) दूसरे प्रावधान में, " बैंक की सेवा से सेवानिवृत्त " शब्दों के बाद, " विनियमन 11 के प्रावधानो के अंतर्गत" शब्द सम्मिलित किए जाएंगे;

ख) तीसरे प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाएगा, यथाः–

"यह भी प्रावधान किया जाता है कि उस कर्मचारी के संबंध मे जिसकी सेवाएं छंटनी के कारण समाप्त कर दी जाती हैं, वह विशेषाधिकार अवकाश की अवधि के लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा जो उसने विनियमन 61 के उप–विनियमन (4) के अधीन जमा कर रखा था।"

ग) तीसरे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान सम्मिलित किए जाएंगे, यथा, –

"यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी असम ग्रामीण विकास बैंक के (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 के विनियमन 27 के उप–विनियम (1) और (2) के तहत विधिवत् नोटिस देने के बाद अपनी स्वेच्छा से दिनांक 01 अप्रैल 2018 को या उसके बाद सेवा से सेवानिवृत होता है, तो वह अपने द्वारा विनियम 61 उप– विनियम (4) के अधीन संचित विशेषाधिकार अवकाष की अवधि कि लिए परिलब्धियों के बराबर की राशि का ॖगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया गया हो, जिसमें दंड भी षामिल है, वह विनियमन 61 के उप–विनियम (4) के अधीन, किसी शी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा।

यह भी प्रावधान किया जाता है कि जहां कोई अधिकारी या कर्मचारी सेवा छोड. देता है या काम पर आना बंद कर देता है या विनियम 10 के उप–विनियम (1) के प्रावधानों के तहत पद त्याग कर देता है , तो वह सेवा समाप्ति की तिथि को उसके खाते मे जमा विशेषाधिकार छुट्टी की आधी अवधि की परिलब्धियों के बराबर की राषि का भुगतान प्राप्त करने के लिए पात्र होगा, यह अवधि अधिकतम 120 दिन तक की हो सकती है।"

देबाशीष गंगोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./366/2024-25]

नोटः असम ग्रामीण विकास बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियमन, 2010 को दिनांक 03 नवम्बर 2010 के शरत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 मे दिनांक 03 नवम्बर 2010 की अधिसूचना संख्या 294 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था और बाद मे दिनांक 7 जनवरी 2013 की अधिसूचना संख्या एजीवीबी/पीइआर /ईएसटीटी–बी /08/01/2012–13 और दिनांक 26 नवम्बर 2018 की अधिसूचना संख्या एजीवीबी पीइआर /ईएसटीटी–बी/08/02/2018–19 द्वारा संषोधित किया गया था ।

ASSAM GRAMIN VIKASH BANK

NOTIFICATION

Guwahati, 19 July, 2024

No. AGVB/PER/ESTT-B/01/2024-25.—In exercise of the powers conferred by section 30 read with sub section (1) of Section 17 of Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Board of Directors of Assam Gramin Vikash Bank after consultation with Punjab National Bank, being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations to further amend the Assam Gramin Vikash Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 namely:-

1. (1) These regulations may be called Assam Gramin Vikash Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Assam Gramin Vikash Bank (Officers and Employees) Service (Amendment) Regulations, 2010(hereinafter referred to as said regulations), in the regulations 61 for sub-regulation (4), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(4) Privilege Leave may be accumulated up to not more than 270 days, except where leave has been applied for and it has been refused:

Provided that encashment of Privilege Leave shall be restricted up to a maximum of 240 days.**”**

3. In the said regulations, in regulation 67:-

(a) In second proviso, after the words “retires from the service of the Bank”, the words “under the provisions of regulation 11” shall be inserted;

(b) For Third Proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided also that in respect of the employee where his services are terminated owing to retrenchment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

(c) After third proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

“Provided also that where an officer or employee voluntarily retires from service on or after the 1st April 2018, after giving due notice under sub- regulation (1) and (2) of regulation 27 of the Assam Gramin Vikash Bank (Employees’) Pension Regulations, 2018, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments for the period of privilege leave he had accumulated, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee has been compulsorily retired including as a measure of punishment, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments of any period, subject to sub-regulation (4) of regulation 61.

Provided also that where an officer or employee leaves or discontinues from service or resigns under the provisions of sub-regulation (1) of regulation 10, he shall be eligible to be paid a sum equivalent to the emoluments in respect of privilege leave to the extent of half of such leave to his credit on the date of cessation of service, subject to a maximum of 120 days.”

DEBASISH GANGOPDHYAY, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./366/2024-25]

Note: The Assam Gramin Vikash Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010 were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 dated 03 November 2010 vide notification number 294 dated 03 November, 2010 and subsequently amended vide notification number AGVB/PER/ESTT-B/08/01/2012-13, dated the 07 January2013 and vide notification number AGVB/PER/ESTT-B/08/02/2018-19, dated 26 November 2018.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA